प्रेस नोट *19/02/2025*

एक शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 बोरी गेहूँ व 13 बोरी चावल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.02.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर फिरोजपुर सड़क के किनारे जर्जर भवन से मु0अ0सं0 36/25 धारा 305 बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार पुत्र रामआशीष निवासी मुंगेसर थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 03 बोरी गेहूँ व 13 बोरी चावल व एक अदद रिक्शा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग में धारा 331(4),317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. सत्येन्द्र कुमार पुत्र रामआशीष निवासी मुंगेसर थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. कुल 03 बोरी गेहूँ व 13 बोरी चावल सभी बोरियों पर उ0प्र0 सरकार खाद्य एवं रसद विभाग लिखा हुआ।
2. 01 अदद रिक्शा।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 हीरालाल थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. उ0नि0 विशाल पासवान थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. का0 अरविन्द कुमार यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।

मारपीट मामले में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में–

आज दिनांक 19.02.2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सहादतपुरा से मु0अ0सं0 46/25 धारा 3(5), 109, 352,351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अजय यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी काजीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। उक्त अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अजय यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी काजीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

बरामदगी–

1. एक अदद चाकू।

पॉक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.02.2025 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चन्दापार के पास से मु0अ0सं0 16/25 धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त दीपू उर्फ दिपक उर्फ राहुल पुत्र भुरा निवासी करहिया थाना मौदहा जनपद हमिरपुर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 01 वर्ष की कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 18-02-2025 को मु0अ0सं0 52/1985 के धारा 406 भादवि थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्त जितेन्द्र राय पुत्र सुर्यनरायण निवासी रेवडीडीह थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 01 वर्ष की कारावास की सजा एवं ₹10,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सिद्धार्थ थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा।